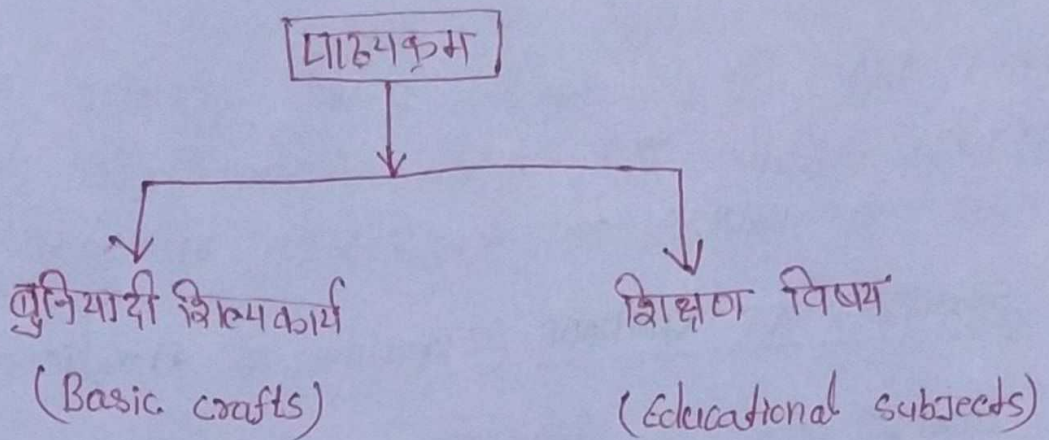

बुनियादी शिल्पकार्य के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित है –

1. कृषि
2. कताई - बुनाई
3. बागवानी
4. काष्ठ कला
5. चर्मकार्य
6. पुस्तक - कला
7. मिट्टी का कार्य
8. मछली पालन
9. फल संरक्षण
10. अन्य स्थानीय हस्त कला।

शिक्षण विषय के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित है –

1. मातृभाषा
2. गणित (नापतौल, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित)
3. सामाजिक विषय (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र)
4. सामान्य विज्ञान (प्रकृति निरीक्षण, बागवानी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक वि०, गृह वि०)

5. स्वास्थ्य विज्ञान (सफाई, व्यायाम, खेलकूद)

6. आचरण शिक्षा (नैतिक शिक्षा, राष्ट्रीय पर्व, समाज सेवा)

7. संगीत

8. चित्र कला

अवधि – 7 वर्ष

आयु - 7-14 वर्ष

बेसिक शिक्षा में कक्षा-5 तक बालक एवं बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम एवं सह-शिक्षा की व्यवस्था थी।

शिक्षण विधियाँ

वर्धा शिक्षा योजना में पाठ्य-पुस्तक विधि के स्थान पर परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि को अपनाया गया था।

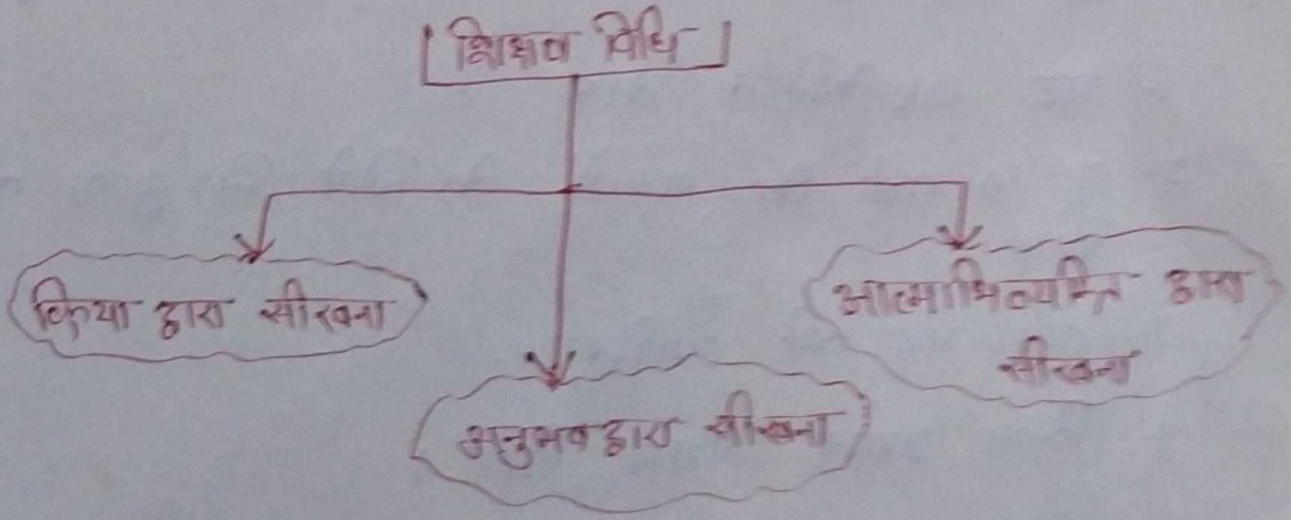

1. क्रिया द्वारा सीखना (Learning by doing) —

मिट्टी के खिलौने, लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण, कृषि कार्य इत्यादि क्रियाओं द्वारा बालों के शारीरिक एवं मानसिक विकास किया जाता है।

2. अनुभव द्वारा सीखना (Learning by exprience) —

इस विधि में बालक अन्य बालों के साथ मिलजुल कर क्रिया करके अनुभव द्वारा सीखता है।

3. आत्माभिव्यक्ति द्वारा सीखना —

इसमें बालों को स्वतंत्र रूप से आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते है जिससे बालों में आत्मविश्वास बढ़ता है।
जैसे - नाटक में भाग लेना
खेल में भाग लेना।

विशेषताएँ / गुण —

बुनियादी शिक्षा के निम्नलिखित विशेषताएँ है।

1. यह बालकेन्द्रित शिक्षा है।
2. 7-14 वर्ष के बच्चों के लिये निः शुल्क व अनिवार्य शिक्षा।
3. वर्ग-भेद की समाप्ति।
4. क्रिया प्रधान शिक्षण विधि।
5. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा।

6. छात्रों में आत्मनिर्भरता की उत्पत्ति में सहायक
7. आर्थिक सम्पन्नता प्रदान करने में सहायक
8. छात्रों के नैतिक व चारित्रिक विकास में सहायक
9. व्यावसायिक शिक्षा के साथ-साथ सैद्धान्तिक विषयों व विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने में सहायक

दोष

1. यह योजना विशेष रूप से ग्रामों के लिए है न कि नगरों के लिये।
2. इस योजना में उत्पादकता सिद्धांत की ज्यादा महत्व है अतः इसका अनुकरण करने से बेसिक विद्यालय कुटीर - उद्योग में परिवर्तित हो जायेगी।
3. आधारभूत शिल्प के माध्यम से समस्त विषयों की शिक्षा दिया जाना सम्भव नहीं है।
4. केवल प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
5. परम्परागत (धार्मिक) विषयों की उपेक्षा की गई।
6. इस योजना में आधुनिक विज्ञान तकनीकी व उद्योगों की शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

7. इस योजना में छात्र छात्राओं को स्वाध्याय का बहुत कम अवसर प्राप्त होता है।

निष्कर्ष :-

वर्धा शिक्षा योजना के उपर्युक्त गुण-दोषों का विवेचना करने से स्पष्ट हो जाता है कि भारत जैसे निर्धन देश के लिए वर्धा शिक्षा योजना उस समय की सबसे उपयोगी योजना थी परन्तु इसे उस समय पर्याप्त सफलता नहीं मिली थी द्वितीय युद्ध प्रारम्भ होने और कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों द्वारा त्यागपत्र दे देने से वर्धा शिक्षा योजना की प्रगति में शिथिलता आ गई थी।

इस सम्बन्ध में टी. एन. सिम्बेरा ने लिखा है, "वर्धा योजना को भारत की निरक्षरता की महान समस्या का समाधान करने के लिए अब तक किए जाने वाले प्रयासों में सबसे सशक्त एवं संपूर्ण माना जा सकता है।"